

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, पोस्ट-बड़ासी, देहरादून।

संख्या 4623/मुख्यो/भूखनि०इ०/23/स्कीम ऑफ माइनिंग/2010-11

दिनांक 13

फरवरी 2023

कार्यालय-ज्ञाप

मैं शिखर मिनरल्स प्रो० श्री मोहन चन्द्र जोशी पुत्र श्री पीताम्बर जोशी निवासी ग्राम भरद्वारी तहसील गणाई गंगोली जिला पिथौरागढ़ के पक्ष में औद्योगिक विकास अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या०२०/१००वि०/२२२-ख/२००१ दिनांक ०९ फरवरी, २००२ एवं शंशोधित शासनादेश संख्या ३२९३/सात/०४/२२२-ख/०१ दिनांक २८ दिसम्बर २००४ के द्वारा ग्राम सनरखोला तहसील गणाई गंगोली जिला पिथौरागढ़ में ४.१५ है० क्षेत्रफल में खनिज सोपस्टोन का २० वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण उपनिबंधक कार्यालय पिथौरागढ़ में २८.०५.२००४ को किया गया जिसकी अवधि २० वर्ष अर्थात् २७.०५.२०२४ तक वैध है, से संबंधित स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने योजना कार्यालय ज्ञाप संख्या १७६२/खनन/गौण खनिज-माईनिंग प्लान/२६/भूखनि०इ०/२०१५-१६, दिनांक ३१ अक्टूबर, २०१५ तथा उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ८४४/VII-I/२०१५/६८-ख/२०१५ दिनांक ३१ जुलाई, २०१५ यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या १५८९ /VII-I/२०१५/६८-ख/२०१५ दिनांक ०७ अक्टूबर, २०१५ द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति-२०१५ के प्रस्तर -३ (दो)(१) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली २००१ के नियम ३४ के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्यालय आदेश संख्या २३७८/खनन/मा०प्ला०/भूखनि०इ०/१४/२०२२-२३ दिनांक २४ सितम्बर, २०२२ के द्वारा गठित समिति की संस्तुति दिनांक ३१.०१.२०२३ के क्रम में आर०क्य०पी० श्री भुवन जोशी रजिस्ट्रेशन नं० आर०क्य०पी०/डी०डी०एन०/०१/२०१६ द्वारा तैयार स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु खनन कार्य सेमी मैक्नाइज्ड माईनिंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के आगामी ०२ वर्ष हेतु वर्ष २०२२-२३ हेतु ५७७६ टन एवं वर्ष २०२३-२४ (२७-०५-२०२४) हेतु ५७७६ टन, के उत्पादन हेतु प्रस्तुत स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है:-

शर्तें/प्रतिबन्धः-

- किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई हैं, तो अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम १९५७ एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-२००१ के अन्तर्गत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नहीं दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
- खनन कार्य एवं खनिजों के खनिज अन्वेषण/खनिज भण्डारण/खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग के अनुसार किया जाना होगा। अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन न किये जाने की दशा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम १९५७ एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली-२००१ के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
- पट्टाधारक द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग-१ उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या०२०/१००वि०/२२२-ख/२००१ दिनांक ०९ फरवरी, २००२ एवं शंशोधित शासनादेश संख्या ३२९३/सात/०४/२२२-ख/०१ दिनांक २८ दिसम्बर २००४ की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाना होगा।
- पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख की समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

6. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के पत्र सं 766-1(750)/2015 दिनांक 20.09.2015 द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन करते हुये उक्त स्कीम आंफ माइनिंग/उत्तरोत्तर खान बन्द की स्कीम के अनुसार खनन कार्य करेगा।
 7. यह स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते हैं या समय-समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते हैं, को छोड़कर अनुमोदित की जाती है।
 8. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम-1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय-समय पर दिये जाये लागू होंगे।
 9. अनुमोदित स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा० ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नहीं करती है।
 10. इस स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
 11. प्रत्येक छमाई में खनन क्षेत्र की स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना के अनुसार आंकलन जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म को आंकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।
 12. धात्विक खनन अधिनियम 1961 के अनुसार खदान सुरक्षा, खदान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी।
 13. स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/क्रियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
 14. पट्टाधारक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
 15. भू-संदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू-संदर्भित वैकटोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर०क्य०पी तथा आशयपत्र धारक जिम्मेदार होंगे।
 16. अनुमोदित खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर०क्य०पी/पट्टाधारक का होगा।
- संलग्नक: स्कीम आंफ माइनिंग प्रति।

1
प्रयृ० २७
(एस०एल०पैट्रिक)
निदेशक।
०/८

संख्या ५६२३/मु०ख०/भू०खनि०ई०/२३/स्कीम आंफ माइनिंग/2010-11 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. जिला खान अधिकारी, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, पिथौरागढ़।
4. मै० शिखर मिनरल्स प्र०० श्री मोहन चन्द्र जोशी पुत्र श्री पीताम्बर जोशी निवासी ग्राम भरद्वारी तहसील गणाई गंगोली जिला पिथौरागढ़।
5. श्री भुवन जोशी मकान न० 20 शास्त्रीनगर, लेन न०-३ हरिद्वार रोड, देहरादून।

1
प्रयृ० २७
(एस०एल०पैट्रिक)
निदेशक।
०/८